

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग


कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-4/अ0प्र0-2-02/2026

42

/पटना, दिनांक:- 16/11/26

श्रीमती कुमारी क्रान्ति, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम, 220 (ख) के प्रावधानानुसार द्वितीय संतानोत्पत्ति के प्रयोजनार्थ दिनांक-07.07.2025 से 15.12.2025 तक के लिए 161 दिनों का मातृत्व अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है।


(निर्मल कुमार)

अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-2-02/2026

681

/पटना, दिनांक:- 16/11/26

प्रेषित।

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु


16/11/26

अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-2-02/2026

681

/पटना, दिनांक:- 16/11/26

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, वीरपुर को

निदेश दिया जाता है कि श्रीमती कुमारी क्रान्ति, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर का स्वीकृत मातृत्व अवकाश अवधि को उनके सेवा पुस्त में निश्चित रूप से अंकित करते हुए नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाय।


अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-2-02/2026

681

/पटना, दिनांक:- 16/11/26

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता-04, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, मधेपुरा/श्रीमती कुमारी क्रान्ति, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16/11/26

अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।